न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/142

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. चन्दनसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपुत निवासी सिराणा तहसील रोहट जिला पाली		1. रूपसिंह पुत्र जब्बरसिंह के कायम मुकाम 1/1 ओम कंवर पत्नी रूपसिंह 1/2 कमलजीतसिंह उर्फ छेलसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत चेण्डा, तहसील रोहट जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 03 दिनांक 20.06.2009, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.12.2009 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता/पति रूपसिंह पुत्र जब्बरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6332 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी की पैतृक पट्टा सुदा भूमि का विधि विरूद्ध पट्टा बनाकर प्रार्थी के आवासीय प्लॉट की भूमि में आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की कब्जासुदा, पट्टा सुदा भूमि को अप्रार्थी की भूमि बताकर गलत रिपोर्ट पेश कर रास्ते की भूमि का अविधिक पट्टा बना दिया। प्रार्थी के आवासीय प्लॉट के उत्तर दिशा में स्थित करीबन 20 फीट चौडे रास्ते से गॉव के आमजन के लिए स्कुल एवं सरकारी हास्पीटल में आने जाने का एकमात्र रास्ता था जो आगे मुख्य मार्ग से जुडता था। ग्राम पंचायत ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है तथा उक्त पट्टे का क्षेत्रफल 12312 वर्गफीट है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने पंचातयी राज नियमों की पालना नहीं की है इसलिये जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त है।

अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम 1/1 ओम कंवर पत्नी रूपसिंह तथा 1/2 कमलजीतसिंह उर्फ छेलसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह ने इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर जैर निगरानी पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। श्रवणसुदा बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 03 दिनांक 20.06.2009, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.12.2009 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता/पति रूपसिंह पुत्र जब्बरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6332 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी के पिता/पति ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि में स्थित 12312 वर्ग फुट के रहवास का पट्टा बनाने का निवेदन किया है। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आज्ञा दिनांक 20.06.2009 के द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड का नक्शा बनाने एवं मनोनित पंच द्वारा मौका मुआयना हेतु निर्देशित किया गया परन्तु जैर निगरानी में राज. पंचायती राज नियम 146 के तहत मौका निरीक्षण हेतु किन तीन पंचो को मनोनीत किया गया है, का अंकन नहीं है। राज. पंचायती राज नियम 145(3) के तहत नक्शा बनाकर पेश किया गया परन्तु जैर निगरानी के सम्बन्ध में उक्त नक्शे में न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.07.2009 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर केवल गवाह के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियत तथा सकुनत की कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 20.08.2009 में अंकितानुसार 2 गवाहों के बयान लिये गये। बयान फार्म के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनो बयानात साइक्लोस्टाईल में कलमबद्ध किये गये है।

ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.12.2009 की पालना में रूपसिंह को राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया जिसका क्षेत्रफल 12312 वर्ग फूट है जबकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार –

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास रू. 100/– वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के रू. 200/– दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर रूपसिंह पुत्र जब्बरसिंह को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अप्रार्थी संख्या 1 रूपसिंह के कायम मुकाम 1/1 ओम कंवर पत्नी रूपसिंह तथा 1/2 कमलजीतसिंह उर्फ छेलसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह ने इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है। साथ ही अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि उक्त विधि विरूद्ध पट्टा बनवाये जाने से प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है, इस परिपेक्ष में पट्टा संख्या 6332 को निरस्त किया जाना नितांत आवश्यक है। चुकि अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत जैर निगरानी पट्टा को विधि विरूद्ध बताया इसलिये भी इसे यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता/पति ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा बनाने का निवेदन किया है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु किन तीन पंचो को मनोनीत किया गया है, का अंकन नहीं है। साथ ही नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में जारी आपत्ति ईश्तहार पर केवल गवाह के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियत तथा सकुनत की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही बयानात साइक्लोस्टाईल में कलमबद्ध किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल 12312 वर्ग फूट है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम 1/1 ओम कंवर पत्नी रूपसिंह तथा 1/2 कमलजीतसिंह उर्फ छेलसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह ने इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर जैर निगरानी पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 03 दिनांक 20.06.2009, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.12.2009 के द्वारा रूपसिंह पुत्र जब्बरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6332 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)